सेवा में

श्रीमान :-
लोकसूचना अधिकारी -
Additional General manager (CP)
Corporate Center,
Power Grid. Corporation of India Limited.
Saudamini plot No. 2, Sector-29,
Near Iffco. chowk. Gurgaon (Haryana)
Pin- 122001. India.

विषय - पावरग्रिड समक्ष सूचना प्राप्त करने हेतु।

महोदय -

प्रार्थी को निम्नांकित बिंदुओ पर सूचना प्रदान करने की कृपा करे।

1.) पावरग्रिड द्वारा लगाये गये टावर .765 KV(DC) के कारीडोर मे दोनो बाहरी तारो से कितनी दूरी पर रहवासी भवन (मकान (पक्के कच्चे) टीनसेड) इत्यादि का निर्माण किया जा सकता है। जो भारत सरकार की 15/10/15 की गाईडलाइन के अनुसार दूरी बताने का कष्ट करें। एंव क्या जो मकान उस दूरी के भीतर पहले से निर्मित है, उन मकानो का पावरग्रिड द्वारा मुआवजा दिया जायेगा। स्पष्ट शब्दो मे एंव हिन्दी भाषा मे सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

2.) पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा. गाडरवारा (म.प्र.) से जबलपुर (म.प्र.) पूलिंग उपकेन्द्र तक नवनिर्मित 765 KV (DC) संचरण पथ का निर्माण किया गया है। जिसके टावर और तार हमारी भूमियो के ऊपर स्थित है। जिसका भारत सरकार की 15/10/15 एंव मध्यप्रदेश सरकार की 11/5/2017 की गाईडलाइन के अनुसार टावर स्थापना मे उपयोग की गई भूमि के क्षेत्रफल का 85% बाजार मूल्य का और दोनो तारो के बीच के क्षेत्रफल 15% बाजार मूल्य की प्रतिपूर्ति राशि हमारे यहाँ पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा नही दी गई है।
मध्यप्रदेश शासन द्वारा 11/5/17 को आदेश जारी कर किसानो को प्रतिपूर्ति देने को कहा था। और पावरग्रिड की लाइन चार्ज उस आदेश के पश्चात् हुई है जिसका नोटिस हम किसानो को दिया गया है जिसमे लाइन चार्ज डेट है 18/5/2017 के पश्चात्. जबकि असल मे लाइन 2/6/17 को चार्ज हुई है।
क्या हम किसान पावरग्रिड से ये प्रतिपूर्ति राशि लेने के अधिकारी है। और अगर नही तो स्पष्ट शब्दो मे एंव हिंदी भाषा मे सूचना प्रदान करे।
महोदय - प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार क्रमबद्ध रूप से एंव सुस्पष्ट भ्रमरहित शब्दो मे (हिन्दी भाषा मे) विधिकीय प्रयोग हेतु सूचना प्रदान करने की कृपा करे

धन्यवाद

संलग्न -> भारतीय पोस्टल आर्डर
क्रमांक. 47F 523819

प्रार्थी
नीलेश सिंह राजपूत
ग्राम कमरवाह पो. करपगांव
तह गाडरवारा जिला. नरसिंहपुर (म.प्र.)
pin. 487221.

PWTL
Date: 5/10/2019
[illegible]
[illegible]
9/10/19

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः–पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किए जा रहे पारेषण लाईन बिछाने के कारण निजी भूमिस्वामियों को देय प्रतिपूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में।

----00----

"राईट–आफ–वे" के अंतर्गत प्रभावित भूमि के उपयोग के मामले में देय मुआवजा के आंकलन करने के लिए भारत सरकार, उर्जा मंत्रालय के पत्र कमांक 3/7/ 2015–ट्रांस, दिनांक 15.10.2015 के माध्यम से, ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ अतः प्रतिपूर्ति दरों को भारत शासन के दिशा निर्देश दिनांक 15.10.2015 के दर के अनुरूप जनहित को ध्यान में रखकर शासन द्वारा प्रदेश में 66 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाइन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के प्रतिपूर्ति के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

(1) भूमि पर प्रवेश से हुई क्षति के लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त भूमिस्वामी को टॉवर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 85 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जावेगी।

(2) विद्युत लाईन के नीचे टॉवर के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि के क्षेत्रफल के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जायेगी। इस हेतु दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई निम्नानुसार मानी जावेगी :–

स.क्र.	पारेषण क्षमता	दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई (मीटर में)
1.	66 के.व्ही.	18 मीटर
2.	110 के.व्ही.	22 मीटर
3.	132 के.व्ही.	27 मीटर
4.	220 के.व्ही.	35 मीटर
5.	400 के.व्ही. एस/सी	46 मीटर
6.	400 के.व्ही. डी/सी	46 मीटर
7.	+/- 500 के.व्ही. एचवीडीसी	52 मीटर
8.	765 के.व्ही. एस/सी (डेल्टा विन्यास के साथ)	64 मीटर
9.	765 के.व्ही. डी/सी	67 मीटर
10.	+/- 800 के.व्ही. एचवीडीसी	69 मीटर

...जी जाने वाली राशि मात्र प्रतिपूर्ति होगी। भूमि पूर्ववत भूमिस्वामी के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज रहेगी।

4/ किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिये प्रतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर तथा गैर कृषि भूमि की प्रतिपूर्ति उसके लिये प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर देय होगी।

5/ यह परिपत्र केवल विद्युत पारेषण (Power Transmission line) लाईन के लिये प्रभावी होगा। इसके अंतर्गत प्रतिपूर्ति विद्युत पारेषण लाईन (Power Transmission line) के लिये देय होगी। इसके अंतर्गत विद्युत वितरण लाईन (Power distribution line) शामिल नहीं है।

(अरूण पाण्डेय)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, राजस्व विभाग

पृ. क्र. 3283/2017/सात/2ए
भोपाल, दिनांक 11.5. 2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पावरग्रिड की 100% स्वामित्व की कंपनी)

पश्चिमी क्षेत्र संचरण प्रणाली – II

400/220 के.व्ही. उपकेन्द्र, सूरवा ग्राम के समीप, जबलपुर

पावरग्रिड

नोटिस / चेतावनी

NTPC गाडरवारा (मध्यप्रदेश) से जबलपुर पूलिंग उपकेन्द्र (मध्यप्रदेश) तक पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरग्रिड की 100% स्वामित्व की कंपनी) द्वारा नवनिर्मित 765 किलो वोल्ट D/c सिवनी–बीना की क्रासिंग से जबलपुर तक संचरण पथ को आगामी 15.05.2017 के पश्चात किसी भी समय 765 किलो वोल्ट पर ऊर्जित कर विद्युत प्रवाह शुरू कर दिया जायेगा। यह लाईन म.प्र. राज्य में निम्न गांवों, कस्बों, शहरों एवं उनके समीप स्थित ग्रामों पर से, आसपास से और बीच से गुजरती है।

क्र.नं.	लाइन का नाम	गांवों का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1	765, किलो वोल्ट D/c सिवनी–बीना लीलो पॉइंट से जबलपुर संचरण पथ	खमरिया, कांकेरकुइया, चिकसा, कनवास, देगुवा, बंदेसुर, रामखेरी, करपगाँव, बिंदवार, नारागी, बम्हनवारा, सगरा, इमलिया, मठरवारा, नरसरा, जमुनिया, डोंगरगांव, धानखेरा, कल्याणपुर, चोरबईटा, कुंदरी, महराखेड़ा, पुरगवा, मटवारा, हररई, नोजोर, पिनारी, शाहपुरा, बम्हनवाड़ा, मल्हानवाड़ा, कंचरी, ढुंती	गाडरवारा	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश
2		मोहाद, अमगांव, खिरिया, अमहेता, पिपरिया, ससबाहु, कन्धापुर, बलखेडी, गोंदीधूबगाट, जल्लापुर, करताज, बेनार।	करेली	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश
3		सिंहपुर, कोडसा, धूबगाट, कवलगांव, रानीपिपरिया, खुरपाकला, समनापुर, चिलाचंडकला, मुरलीपोनरी, ढांगीदाना, बैहरपोंडी, हनुमानपोंड़ी, सलईया, चौराखेड़ा, बहोरीपार, लूरहटा, श्यामखेड़ा।	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश
4		खानपुर, बेल्खडी, रीछों, बेदू, सुरवारी, बिछुया, कमती, गुंदराई, बिछिया, पथरोडा, पिंररई, सहजपुरा, तिरका, रामनिवारी, बमनोदाला, बरोंदा, कमती, कुम्हारखेड़ा, गोटेगांव, मेहका, अतरिया, घराघाट, बहरोरा, तिघारा, दिगुवा, कुकलाहा, बंडोल, कमझोर, नरवारा, बेधुंवा, पिपरिया, बगलई, बिछुवा।	गोटेगांव	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश
5		भीकमपुर, तुमरा, भरपुरा, महवान, महुआवाड़ा, मलकछार, शीतलपुर, जिलहारीघाट, छपरठ, बंसीपुर, कोलोन, बिजना, पिपरिया, मगरमुहा, बरखेड़ा, मनगँवा, धरमपुराखुर्द।	शहपुरा	जबलपुर	मध्य प्रदेश

ज्ञात हो कि अत्यधिक उच्च वोल्ट की ट्रांसमिशन लाईन होने के कारण इस लाईन के प्रत्यक्ष या परोक्ष से समीप आना खतरनाक है। अतः इस नोटिस के द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त संचरण पथ के टावर एवं विद्युत तारों से दूर रहे। इस संचरण पथ के टावरों में चढ़ने एवं किसी प्रकार की छेड़छाड़ का प्रयास ना करें। संचरण पथ के मध्य से दोनों तरफ कोई भी निर्माण कार्य के लिये पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है, साथ ही नियमों की अवहेलना करने पर यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरग्रिड की 100% स्वामित्व की कंपनी) जिम्मेदारी नहीं होगा।

(विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है)

पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड की ओर से एवं लिए

उपमहाप्रबंधक

पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड, जबलपुर

दह टका | दश टाका | ১০ ৰুপিয়া | ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ | ദസ്സ് രൂപ | பத்து ரூபாய் | दहा रुपये | ଦଶ ଟଙ୍କା | ਦਸ ਰੁਪਏ | दश रूप्यकाणि | பத்து ரூபாய் | పది రూపాయలు | دس روپے

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO Additional General manager (CP) Powergrid corporation of India limited को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

सीमा सिंह राजपूत, ग्राम [illegible]
पो: करपगाँव, त. गाडरवारा
जिला: नरसिंहपुर (म.प्र.) [illegible]

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER
05/10/2019

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

47F 523819